कार्यालय नगर पंचायत काँठ, जनपद– मुरादाबाद

पत्रांक – 133/ई–निविदा/न0पं0काँठ/2019 दिनांक – 21-6-19

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

समस्त पंजीकृत/ अधिकृत सेवा प्रदाता फर्मों/ सहकारी समितियों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत काँठ वित्तीय वर्ष–2019–20 (1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक) हेतु "राज्य वित्त आयोग" के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से वेतन वितरण के पश्चात् अवशेष धनराशि से / टाउन फंड से आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कार्य हेतु 31 सफाई कार्मिकों एंव कार्यालय कार्य हेतु 2 कम्प्यूटर ऑपरेटर की आपूर्ति कराना चाहती है जिसके लिये ई–निविदा दिनांक 22.6.2019 .से 29.6.2019. दोपहर 1:00 बजे तक वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगी। जहां से इसे डाउनलोड कर अपलोड किया जा सकता है सभी निविदादाता दिनांक 29.6.2019 की दोपहर 01:00 बजे तक वेबसाईट www.etender.up.inc.in पर आन लाइन अपनी ई–निविदा दर/ दरें डाल सकते हैं।

A	ई– प्रोक्योरमैन्ट के माध्यम से निविदा प्रकाशन की तिथि	22.6.2019
B	वेबसाइट पर ऑनलाईन निविदा डाउनलोड की तिथि	22.6.2019 अपरान्ह 12:00 बजे से
C	ई– प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा डालने की तिथि व समय	29.6.2019 दोपहर 1:00 बजे तक
D	ई– प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि व समय	29.6.2019 अपरान्ह 03:00 बजे से
E	ई– निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय अपर ज़िलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद
D	धरोहर राशि	रू0 50000/–
G	निविदा मूल्य	रू0. 1000/– + 180 GST

नोट– टेण्डर खुलने की दिनांक / तिथि को अवकाश होने की स्थिति मे अगले कार्य दिवस मे टेण्डर/ निविदा डालने/ खोलने की कार्यवाही पूर्व निर्धारित समय व स्थान पर नियमानुसार की जायेगी। निर्धारित समयावधि 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 के पश्चात अनुबन्ध को अपरिहार्य स्थिति में आगामी 3/6/12 माह तक बढाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित रहेगा । अन्य नियमो व शर्तों की सम्पूर्ण जानकारी बेबसाइट www.npkanth.in तथा वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर अपलोड कर दी गई है तथा किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पंचायत काँठ से प्राप्त की जा सकती है।

(मौ0 महबूब)
लिपिक
नगर पंचायत काँठ
मुरादाबाद

(सूर्य कान्त)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत काँठ
मुरादाबाद

(प्रीति)
अध्यक्षा
नगर पंचायत काँठ
मुरादाबाद

प्रतिलिपि–

1– सम्पादक अमर उजाला समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि एक बार 10X12 से0मी0 आकार न्यूनतम दरें मे प्रकाशन कर 02 प्रतियां सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
2– सम्पादक दैनिक जागरण समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि एक बार 10X12 से0मी0 आकार मे न्यूनतम दरें में प्रकाशन कर 02 प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3– श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
4– श्रीमान अपर ज़िलाधिकारी (प्रशासन) महोदय मुरादाबाद सूचनार्थ प्रेषित।
5– उपजिलाधिकारी काँठ, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
6– श्री मौ0 महबूब लिपिक नगर पंचायत काँठ को कार्यालय नगर पंचायत काँठ के सूचना पटट पर चस्पा हेतु तथा बी0ओ0 क्यू को बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।

(मौ0 महबूब)
लिपिक
नगर पंचायत काँठ
मुरादाबाद

(सूर्य कान्त)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत काँठ
मुरादाबाद

(प्रीति)
अध्यक्षा
नगर पंचायत काँठ
मुरादाबाद

O/C

Scanned by CamScanner

निविदा आमंत्रित करने हेतु आवश्यक शर्तें–

1. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार, सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
2. निविदादाताओं को निविदा के साथ जमानत राशि के रूप मे रू0. 50000/–की धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा जो एफ.डी.आर./ डी.डी. के रूप मे जमा होगा तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत काँठ के पक्ष मे बन्धक होगा तथा साथ ही निविदा शुल्क कार्यालय नगर पंचायत काँठ के प्रथमा बैंक काँठ स्थित खाता सं0 20015001500 मे चालान जमा कर चालान की कॉपी व एफ.डी.आर./ डी.डी. /नगद जमा की कॉपी स्कैन कर अपलोड करनी अनिवार्य होगी। साथ ही मूल रूप मे अन्य चाहे गये प्रपत्रों के साथ, यदि चाहे तो नगर पंचायत काँठ कार्यालय मे रखे टेण्डर बॉक्स मे डाल सकते हैं। शासनादेश संख्या 3070/78–2–2018–42 आई0टी0/2017(22) दिनांक 03 जनवरी, 2018 के अनुपालन मे निविदादाताओं द्वारा ई– निविदा प्रमाणी के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों की स्कैन प्रतियों के ट्रान्जेक्शन न0 को ई– निविदा डालते समय अपलोड करना होगा, निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरानत ई– निविदा में संलग्न किये गये अभिलेखों के मूल अभिलेख कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि निविदादाताओं द्वारा उक्त प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तो इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उनका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।
3. टेण्डर खुलने से पहले सेवाप्रदाता द्वारा निविदा शुल्क/ धरोहर धनराशि के समस्त अभिलेख कार्यालय नगर पंचायत काँठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा मूल्य 1,000.00 रूपये +18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित नगर पंचायत काँठ में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को धरोहर राशि/ ज़मानत के रूप मे 50,000.00 रूपये की धनराशि जोकि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉठ , मुरादाबादके नामे बंधक हो , जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को सरकारी/ अर्द्धसरकारी / अन्य विभागों /संस्थाओं मे कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा कार्यादेश की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को श्रम विभाग मे पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
8. निविदादाता को उद्योग आधार मे पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
9. भारत सरकार के क्रम मे निविदा दाता को आई.एस.ओ. निविदादाता को वरीयता दी जायेगी।
10. सेवा प्रदाता/ फर्म/ सहकारी समिति का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, उद्योग आधार की मूल प्रतिलिपि अपलोड करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा दाता किसी भी विभाग अथवा राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट घोषित नहीं होनी चाहिये तथ्यों को छुपाने के फलस्वरूप उसकी ज़मानत धनराशि ज़ब्त कर ली जायेगी। रू0 100/ के स्टाम्प पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है ।
12. सेवा प्रदाता/ फर्म/ सहकारी समिति के द्वारा कम से कम 250 श्रमिकों का ई0पी0एफ0 यू0एन0 नम्बर का पंजीकरण होना एंव उसका साक्ष्य अपलोड करना अनिवार्य होगा।
13. समान दरें प्राप्त होने पर पूर्व में कार्यरत फर्म/ सेवा प्रदाता/ सहाकारी समिति को वरीयता के क्रम मे रखा जायेगा।
14. निविदादाता द्वारा श्रमापूर्ति क्षेत्र में कम से कम न्यूनतम टर्न ओवर रूपये 1 करोड़ प्रति वर्ष में 3 वर्ष का होना चाहिये।
15. निविदादाता में सफल सेवा प्रदाता/ फर्म/ सहकारी समिति का ई–निविदा में डाला गया लाभांश शासनादेश के अनुसार ही मान्य / अमान्य होगा।
16. साथ ही निर्धारित अवधि 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक के पश्चात् यदि निकाय द्वारा पूर्ववर्ती दरो/संशोधितं पर कार्यदायी फर्म / संस्था से निर्धारित अविध 3 माह / छः माह / 1 वर्ष हेतु सफाई श्रमिकों एंव कम्प्यूटर आपरेटरों की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध करने के लिये कहा जाता है / सूचना दी जाती है तो संबंधित संस्था / फर्म को श्रमिकों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी तथा इस आशय का अनुबन्ध भी करना अनिवार्य होगा । 31 सफाई कार्मिकों के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों / त्यौहारो आदि अवसरों पर सफाई कार्य हेतु अतिरिक्त सफाई कार्मिकों / कम्प्यूटर आपरेटरों की आपूर्ति संबंधित संस्था / फर्म को निकाय की आवश्यकतानुसार करना अनिवार्य होगा । उक्त शर्त अनुबन्ध का अनिवार्य अंग होंगी ।

<u>सेवा प्रदाता द्वारा श्रमिको /कप्यूटर आपरेटरों की आपूर्ति हेतु शर्तें</u>

1. आवश्यकतानुसार कार्यालय में श्रमिकों / कम्प्यूटर आपरेटरों की संख्या घटाई अथवा बढ़ायी जा सकती है। और इनका अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
2. नगर पालिका/ नगर पंचायत मे पूर्व से कार्यरत आउटसोर्सिंग श्रमिक को फर्म/ सेवा प्रदाता/ सहकारी समिति के द्वारा विशेष प्राथमिकता प्रदान करते हुय उन्हे अपने फर्म में जंजीकृत करना होगा ताकि उसके कार्य अनुमव व जानकारी का ज्ञान पंचायत को प्राप्त हो सके।
3. नगर पंचायत काँठ मे कुल आपूर्ति श्रमिकों द्वारा कार्यालय के अधिकारियों/ सुपरवाईज़रों के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। अन्यथा की स्थिति मे उनको तत्काल कार्य से हटाना होगा।
4. फर्म/ ठेकेदार का चयन होने के उपरान्त अपने फर्म के साथ– साथ प्रत्येक श्रमिक को भुगतान की जाने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित करनी होगी तथा तत्सम्बन्धी सूचना/ ऐस्टेटमेन्ट नगर पंचायत काँठ को प्रतिमाह उपलब्ध करानी होगी।
5. ई0एस0आई0 एंव ई0पी0एफ0 का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित पक्षों द्वारा किया जायेगा तथा फर्म को तीन माह के अन्दर प्रत्येक कर्मचारी का ई0एस0आई0 का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित पक्षों द्वारा किया जायेगा तथा फर्म को तीन माह के अन्दर प्रत्येक कर्मचारी का ई0एस0आई0 कार्ड। जारी करना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

6. श्रमिकों के मानदेय के प्रथम माह के भुगतान के पश्चात् द्वितीय माह को भुगतान प्रथम माह के ई0पी0एफ0/ ई0एस0आई0 अंश के जमा के साक्ष्य कार्यालय मे जमा करने के पश्चात् ही किया जायेगा। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में जी0एस0टी0 कॉउसिल के विविध नियमों के अंतर्गत ही देयता /अदेयता मान्य होगी । नियमानुसार आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा । भविष्य में शासन /सरकार द्वारा जो भी नियम आउटसोर्सिंग कर्मिकों के सम्बन्ध में लागू होगे , वह संबंधित फर्म / संस्था को मानने होगे । नियमानुसार 10 प्रतिशत जमानत राशि चयनित संस्था / फर्म को अनुबन्ध के समय जमा करना अनिवार्य होगा ।

7. ई0पी0 एफ0ओ0 व ई0एस0आई0सी0 में इम्प्लाई एंव इम्प्लायर शेयर को जमा करने का दायित्व चयनित कार्यदायी संस्था का होगा तथा उक्त के चालान की प्रति प्रत्येक माह बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. निविदादाता को अपने द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति का दर अलग– अलग सुस्पष्ट रूप से देना होगा और अपनी सर्विस चार्ज भी देना होगा।

9. श्रमिकों की आपूर्ति का अनुबन्ध आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर करना होगा। कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की स्थिति मे कार्य/ अनुबन्ध समाप्त किये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉठ में निहित होगा।

10. न्यूनतम मज़दूरी की दरें बढ़ने पर आपूर्तिकर्ता के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त नगर पंचायत कॉठ द्वारा बढ़ी हुई दरों पर भुगतान करने में अंतिम निर्णय अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा ।

11. अधिशासी अधिकारी के आदेशों का अनुपालन न करने अथवा किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर अधिशासी अधिकारी को कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार होगा।

12. किसी भी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है। तो उसकी समस्त ज़िम्मेदारी फर्म की होगी।

13. सेवा प्रदाता/ फर्म/ सहकारी समिति को प्रत्येक श्रमिक का ब्यौरा व पहचान पत्र कार्य पर लगाये जाने के एक माह के अन्दर अथवा प्रथम् भुगतान से पूर्व नगर पंचायत कॉठ को प्रस्तुत करना होगा।

14. सेवा प्रदाता/ फर्म/ सहकारी समिति के द्वारा कार्य के मध्य किसी भी श्रमिक को तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि नगर पंचायत की ओर से उसे हटाने का कोई आदेश न दिया गया हो।

15. सेवा प्रदाता/ फर्म/ सहकारी समिति नगर पंचायत को ऐसे श्रमिक उपलब्ध करायेंगे जो स्वस्थ व आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

16. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होंगी।

17. निविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद ही मान्य होगा।

18. इस निविदा से सम्बन्धित कोई आपत्ति हो, तो तीन दिवस के भीतर कार्यालय नगर पंचायत कॉठ में अवगत करायें।

कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु अनिवार्य शर्ते :–

1– कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिये इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है ।

2– कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु व्यक्ति को कम्प्यूटर में डिप्लोमा C+++ एंव समकक्ष योग्यता/ डिग्रीधारी होना अनिवार्य है ।

3– कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु आयु 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए ।

4– कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु भुगतान पी0 डब्ल्यू0 डी0 शेड्यूल की दरों 18000/– प्रतिमाह के आधार पर किया जायेगा अपितु उक्त दरों से कम भुगतान करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित रहेगा जिसे किसी भी दशा चुनौती नही दी जा सकती है

5– कम्प्यूटर ऑपरेटर को हिन्दी एंव अग्रेजी में टाइप करना आना अनिवार्य है तथा न्यूनतम टाइपिंग स्पीड प्रति मिनट क्रमश 25 व 30 शब्द होना चाहिये ।

6– उक्त के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग कम्प्यूटर ऑपरेटर का ई0पी0 एफ0ओ0 व ई0एस0आई0सी0 में इम्प्लाई एंव इम्प्लायर शेयर को जमा करने का दायित्व चयनित कार्यदायी संस्था का होगा एंव अन्य जो भी सुविधाएं / नियम आउटसोर्सिंग कम्प्यूटर आपरेटर पर लागू है ,का अनुपालन कार्यदायी संस्था को करना होगा ।

(मो0 महबूब)	(सूर्य कान्त)	(प्रीति)
लिपिक	अधिशासी अधिकारी	अध्यक्षा
नगर पंचायत कॉठ	नगर पंचायत कॉठ	नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद

Scanned by CamScanner